सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

क्षेत्रीय कार्यालय: 113/179, स्वरूप नगर, कानपुर-208002

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का परंतुक देखें]

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

सामान्य रूप से आम लोगों को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (प्रतिभूत लेनदार) के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसको **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया** (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत अधिकारी द्वारा **सांकेतिक कब्जा** ले लिया गया है। जिसे **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", और "जो कुछ भी है"** के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रतिभूति लेनदार के द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) से बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित उधारकर्ताओं की संपत्ति को **दिनांक 10.09.2026** को **सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे** के बीच बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों का आरक्षित मूल्य एवं धरोहर राशि (ई.एम.डी.) नीचे दी गई है।

ईएमडी (ऑनलाइन) जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 10.09.2026 सुबह 11:00 बजे तक

क्र. सं.	ऋणी/गारन्टर/बंधकदाता का नाम एवं शाखा	बंधक सम्पत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि एवं देय धनराशि / कब्जा नोटिस की तिथि	रिजर्व प्राइस / ईएमडी / बिड इन्क्रीज अमाउन्ट
1.	**ऋणी: 1. मेसर्स गुप्ता गैरज द्वारा प्रोपराइटर श्री संतोष गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र गुप्ता**, निवासी-192/8, शास्त्री नगर, कानपुर, पिन 208005 **2. श्री संतोष गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र गुप्ता, मेसर्स गुप्ता गैरज के प्रोपराइटर** निवासी-192/8, शास्त्री नगर, कानपुर पिन-208005 **जमानतकर्ता: 1. श्री संजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र गुप्ता**, निवासी- 192/8, शास्त्री नगर, कानपुर, पिन-208005 **2. श्रीमती ओम किशोरी गुप्ता पत्नी स्वर्गीय रमेश चंद्र गुप्ता**, निवासी- 192/8, शास्त्री नगर, कानपुर, पिन-208005 **शाखा- आर्यनगर, मो०- 8303714117 ई-मेल: bmkanp0157@centralbank.bank.in**	संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर संपत्ति स्थित इंडस्ट्रियल भूमि व भवन, परिसर सं. 102 का भाग, वर्तमान नगर महापालिका सं. 123/695, इंडस्ट्रियल एरिया, फज़लगंज (फकीरे लखपति ग्लास हाउस के पास), तहसील एवं जिला-कानपुर नगर, पिन-208012 **क्षेत्रफल 1080.90 वर्ग गज एवं चौहद्दी: पूर्व:** परिसर सं. 102 का भाग, उसके बाद श्री जयवीर सिंह का परिसर सं. 101; **पश्चिम:** परिसर सं. 102 का भाग, उसके बाद मेसर्स शंटी बंटी का परिसर सं. 103; **उत्तर:** सड़क; **दक्षिण:** रेलवे लाइडिंग/नया गुरु नानक मार्केट	09.04.2024 रू. 22,44,454.00 + ब्याज + अन्य खर्चे (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर) **सांकेतिक कब्जा की तिथि** 26.06.2024	रू. 332.12 लाख / रू. 33,21,200/- / रू. 50,000/-
2.	**ऋणी: मेसर्स कामदगिरि राइस मिल (इसके पार्टनर्स- 1. श्रीमती राजन देवी पत्नी श्री पति राम, 2. श्रीमती कामिनी देवी पत्नी श्री बाबू सिंह)**, पता: गाटा संख्या 447, 511, 528, 529, ग्राम सुरासी, तहसील-सिकंदरा, कानपुर देहात, उ.प्र. 209125 **जमानतकर्ता: 1- श्रीमती राजन देवी पत्नी श्री पति राम (मेसर्स श्री कामदगिरि राइस मिल के पार्टनर)**, निवासी- (ए) गाव सिंह पुरवा, ग्रामपुर दिलवल, कानपुर देहात, उ.प्र-209310 एवं (बी) वार्ड सं. 10, भोला नगर, झिंझक, कानपुर देहात 209302 **2. श्रीमती कामिनी देवी पत्नी श्री बाबू सिंह (मेसर्स श्री कामदगिरि राइस मिल के पार्टनर)**, निवासी-वार्ड सं. 08, ओम नगर, झिंझक, कानपुर देहात, उ.प्र-209302 **शाखा- झिंझक, मो०- 8303713697 ई-मेल: bmkanp4501@centralbank.bank.in**	**1.** संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर गैर-कृषि भूमि व भवन स्थित गाटा सं. 511, ग्राम-सुरासी, परगना एवं तहसील-सिकंदरा, कानपुर देहात, उ.प्र. 209125 **क्षेत्रफल 2730.00 वर्ग मीटर एवं चौहद्दी: पूर्व:** कुसुम लता का खेत, **पश्चिम:** जगत पाल का खेत आदि, **उत्तर:** सेवा बाथम का खेत, **दक्षिण:** कच्चा चक रोड **2.** संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर गैर-कृषि भूमि व भवन स्थित गाटा सं. 447, ग्राम-सुरासी, परगना एवं तहसील-सिकंदरा, कानपुर देहात, उ.प्र. 209125 **क्षेत्रफल 1840.00 वर्ग मीटर एवं चौहद्दी: पूर्व:** गाटा सं. 449, **पश्चिम:** गाटा सं. 446, **उत्तर:** खड़ंजा, **दक्षिण:** गाटा सं. 442 एवं 441 **3.** संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर गैर-कृषि भूमि व भवन स्थित गाटा संख्या 528, ग्राम-सुरासी, परगना एवं तहसील-सिकंदरा, कानपुर देहात, उ.प्र. 209125 **क्षेत्रफल 2560.00 वर्ग मीटर एवं चौहद्दी (विक्रय विलेख के अनुसार): पूर्व:** राम बाबू का खेत, **पश्चिम:** लाल सिंह का खेत आदि, **उत्तर:** राम बाबू का खेत, **दक्षिण:** लाल सिंह का खेत आदि **4.** संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर गैर-कृषि भूमि व भवन स्थित गाटा संख्या 529, ग्राम-सुरासी, परगना एवं तहसील-सिकंदरा, कानपुर देहात, उ.प्र. 209125 **क्षेत्रफल 2590.00 वर्ग मीटर एवं चौहद्दी (गाटा संख्या 528 एवं 529 की संयुक्त साइट के अनुसार): पूर्व:** गाटा संख्या 521, **पश्चिम:** अन्य आराजी, **उत्तर:** गाटा संख्या 527, **दक्षिण:** 20 फीट चकड़ा **5.** संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर आवासीय मकान स्थित गाटा सं. 191 ख, मोहल्ला-सम्राट अशोक नगर, तहसील-झिंझक, कानपुर देहात, उ.प्र. 209125 **क्षेत्रफल 402.00 वर्ग मीटर एवं चौहद्दी: पूर्व:** सिकंदरा बिल्हौर रोड, **पश्चिम:** रामा एंड कंपनी का खेत, **उत्तर:** बृजेश पाल पुत्र श्री सिपाही लाल का प्लॉट, **दक्षिण:** रमा कांत शुक्ला का मकान **सभी संपत्तियों के मालिक:** श्रीमती राजन देवी पत्नी श्री पतिराम	01.12.2025 रू. 1,89,87,432.31 + ब्याज + अन्य खर्चे (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर) **सांकेतिक कब्जा की तिथि** 25.02.2026	रू. 190.77 लाख / रू. 19,07,700/- / रू. 50,000/-
3.	**ऋणी: मेसर्स श्री किशोरी जी राइस मिल (इसके पार्टनर्स: 1. श्री जीतेंद्र कुमार पाण्डेय, 2. श्रीमती शीला पाण्डेय, 3. श्रीमती निर्मला पाण्डेय, 4. श्री बृजेंद्र कुमार पाण्डेय)**, पता- जी.टी. रोड, थरियांव, फतेहपुर, उ.प्र.-212622 **जमानतकर्ता: 1. श्री जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राजेंद्र कुमार पाण्डेय**, पता-1116, जी.टी. रोड, थरियांव, बहरामपुर, फतेहपुर, उ.प्र.-212622 **2. श्रीमती शीला पाण्डेय पत्नी श्री रवि कुमार पाण्डेय**, पता: 323 डी, सुजातगंज, सीओडी, श्याम नगर, कानपुर नगर, उ.प्र.-208013 **3. श्रीमती निर्मला पाण्डेय पत्नी श्री राजेंद्र कुमार पाण्डेय**, पता: जी.टी. रोड, थरियांव, बहरामपुर, फतेहपुर, उ.प्र.-212622 **4. श्री बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री राजेंद्र कुमार पाण्डेय**, पता: जी.टी. रोड, रामपुर थरियांव, बहरामपुर, फतेहपुर, उ.प्र.-212622 **5. श्री राजेंद्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय**, पता: श्री शीतला राइस मिल, जी.टी. रोड, थरियांव, बहरामपुर, फतेहपुर, उ.प्र.-212622 **शाखा- फतेहपुर, मो०- 8303714116 ई-मेल: bmkanp3682@centralbank.bank.in**	संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर संपत्ति भूमि व भवन स्थित गाटा सं. 5683, ग्राम रामपुर थरियांव, परगना हसवा, तहसील एवं ज़िला-फतेहपुर, उ.प्र.-212622, **संपत्ति के मालिक:** श्री राजेंद्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय **क्षेत्रफल 4857.00 वर्ग मीटर एवं चौहद्दी: पूर्व:** आराजी जितेंद्र कुमार, **पश्चिम:** चक मार्ग, **उत्तर:** आराजी जितेंद्र कुमार एवं अन्य, **दक्षिण:** आराजी जितेंद्र कुमार एवं अन्य	19.06.2025 रू. 4,78,23,800.95 + ब्याज + अन्य खर्चे (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर) **सांकेतिक कब्जा की तिथि** 27.08.2025	रू. 474.40 लाख / रू. 47,44,000/- / रू. 50,000/-
4.	**ऋणी: 1. सेंट जूड सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी (इसके पार्टनर्स: 1. श्री राम सिंह चौहान, 2. श्रीमती रचना लाल, 3. श्री श्रीयष मोसेस लाल, 4. श्रीमती स्नेहा मोसेस लाल)**, पता: अराजी सं. 324 (एम) का भाग, ग्राम बेहटा सकत, परगना एवं तहसील-नरवल, कानपुर एस.पी., उ.प्र.-209401 **जमानतकर्ता: 1. श्री राम सिंह चौहान (सेंट जूड सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के पार्टनर)**, निवासी-25 ई 8, दबौली 1, कानपुर, कानपुर नगर, उ.प्र.-208022 **2. श्रीमती रचना लाल (सेंट जूड सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के पार्टनर)**, निवासी 25 ई 8, दबौली 1, कानपुर, कानपुर नगर, उ.प्र.-208022 **3. श्री श्रीयष मोसेस लाल (सेंट जूड सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के पार्टनर)**, निवासी 25 ई 8, दबौली 1, कानपुर, कानपुर नगर, उ.प्र.-208022 **4. श्री स्नेहा मोसेस लाल (सेंट जूड सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के पार्टनर)**, निवासी 25 ई 8, दबौली 1, कानपुर, कानपुर नगर, उ.प्र.-208022 **शाखा- दबौली, मो०- 8303713937 ई-मेल: bmkanp3715@centralbank.bank.in**	**1.** संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर भूमि व भवन स्थित खाता सं. 00119, आराजी सं. 324, ग्राम- बेहटा सकत, तहसील एवं ज़िला- कानपुर नगर, उ.प्र. 209401 **क्षेत्रफल 0.2150 हेक्टेयर एवं चौहद्दी: पूर्व:** आराजी सं. 325, **पश्चिम:** आराजी सं. 139 एवं 127, **उत्तर:** 60 फीट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** आराजी दीगर **2.** संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर भूमि व भवन स्थित खाता सं. 112, आराजी सं. 324 मि., ग्राम- बेहटा सकत, तहसील एवं ज़िला- कानपुर नगर, उ.प्र. 209401 **क्षेत्रफल 0.8190 हेक्टेयर एवं चौहद्दी: पूर्व:** कृषि भूमि सं. 325, **पश्चिम:** कृषि भूमि सं. 139 एवं 138, **उत्तर:** कृषि भूमि सं. 279, **दक्षिण:** कृषि भूमि सं. 138 एवं सीमा ग्राम सेमरुवा **ऊपर बताई गई दोनों संपत्ति के मालिक:** मेसर्स जीसस क्राइस्ट महा विद्यालय द्वारा सोसाइटी- सेंट जूड सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी, सचिव- श्री श्रीयष मोसेस लाल पुत्र श्री संजय लाल	22.01.2026 रू. 1,71,47,710.27 + ब्याज + अन्य खर्चे (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर) **सांकेतिक कब्जा की तिथि** 13.04.2026	रू. 263.37 लाख / रू. 26,33,700/- / रू. 50,000/-
5.	**ऋणी: 1. श्रीमती वंदना देवी पत्नी स्वर्गीय भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा 2. तुम्री छवि पुत्री स्वर्गीय भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा 3. मास्टर यश पुत्र स्वर्गीय भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा दोनों (2) एवं (3) प्राकृतिक संरक्षक श्रीमती वंदना देवी (स्वर्गीय भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा के कानूनी उत्तराधिकारी)** निवासी फ्लैट सं. सी-301, तृतीय तल, जीएच-1, जीवन सुरभि अपार्टमेंट, आवास विकास सं. 03, अंबेडकरपुरम, कल्याणपुर, कानपुर-208017 **4. श्रीमती वंदना देवी पत्नी स्वर्गीय भूपेन्द्र सिंह कुशवाहा**, निवासी फ्लैट सं. सी-301, तृतीय तल, जीएच-1, जीवन सुरभि अपार्टमेंट, आवास विकास सं. 03, अंबेडकरपुरम, कल्याणपुर, कानपुर-208017 **शाखा- गोविन्दनगर, मो०- 8303713706 ई-मेल: bmkanp0158@centralbank.bank.in**	संपत्ति के सभी भाग व खण्ड को मिलाकर संपत्ति स्थित फ्लैट सं. सी-301, तृतीय तल, फ्लॉट सं. जीएच-1, ब्लॉक-सी, जीवन सुरभि, ग्रुप हाउसिंग रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, स्कीम सं. 3, अंबेडकरपुरम, आवास एवं विकास परिषद, कल्याणपुर, कानपुर नगर, पिन-208017 **क्षेत्रफल 98.84 वर्ग मीटर एवं चौहद्दी: पूर्व:** फ्लैट सं. सी-302, **पश्चिम:** कॉमन रोड एवं कार पार्किंग, **उत्तर:** कॉमन रोड, **दक्षिण:** लॉबी/पैसेज एवं फ्लैट सं. सी-304, **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** 24.00 मीटर चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** 12.00 मीटर चौड़ी सड़क, **उत्तर:** 24.00 मीटर चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** फ्लॉट सं. जीएच-2	01.02.2024 रू. 18,14,805.24 + ब्याज + अन्य खर्चे (यदि कोई वसूली हो तो उसे घटाकर) **सांकेतिक कब्जा की तिथि** 23.04.2024	रू. 70.00 लाख / रू. 7,00,000/- / रू. 50,000/-

ई-नीलामी की तिथि: 10.09.2026 सुबह 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच 10 मिनट के ऑटो एक्सटेंशन के साथ।

इच्छुक बोलीदाताओं को वेबसाइट https://www.ebkray.in पर पंजीकरण करना होगा और क्रेता पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/ट्रांसफर (https://www.ebkray.in से चालान उत्पन्न होने के बाद) के माध्यम से ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में जमा की जाएगी। नीलामी सामान्य लेंडिंग प्लेटफॉर्म EBkray पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ई-नीलामी **"जैसा है जहां है", "जैसा है जो है"** और **"जो कुछ भी है"** के आधार पर आयोजित किया जाएगा। सफल बोलीदाता को बोली राशि का **25%** (कम ईएमडी राशि) को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से खाता संख्या 3007652890, आईएफएससी-CBIN0281432 में प्राधिकृत अधिकारी के खाते के नाम पर उसी दिन या अगले कार्य दिवस से पहले जमा करना होगा। शेष **75%** राशि का भुगतान बिक्री की पुष्टि के 15वें दिन या उससे पहले किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने पर बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई कोई भी राशि जब्त कर ली जाएगी। संपत्ति पर कोई भार नहीं है, तथापि बोलीदाता इस संबंध में स्वतंत्र जांच कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में (किसी प्रतिभूत संपत्ति के लिए एकमात्र बोली लगाने वाले के मामले सहित) प्रतिभूत संपत्ति आरक्षित मूल्य या उससे कम पर नहीं बेची जाएगी। न्यूनतम एक बोली वृद्धि राशि अनिवार्य है। (प्रक्रिया- खरीदार/बोलीदाता को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने eBKray पोर्टल में लॉगिन करना होगा)।

उपरोक्त संपत्ति पर ऋणभार का विवरण, जैसा कि बैंक को ज्ञात है- ज्ञात नहीं है

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट (प्रतिभूत लेनदार के रूप में) यानी https://www.centralbankofindia.bank.in., या नीलामी प्लेटफॉर्म https://www.ebkray.in देखें। हेल्पलाइन नंबर +91 8291220220, किसी अन्य जानकारी के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी, मो०- 8303713202 से सम्पर्क करें।

सभी ऋणी/जमानतकर्ताओं की सूचित किया जाता है कि उपरलिखित समस्त देय, ब्याज एवं खर्चों सहित ई-नीलामी तिथि से पूर्व अदा कर दें अन्यथा उनकी सम्पत्तियां नीलाम कर दी जायेंगी तथा यदि कोई देय शेष रह जाते हैं तो उनकी वसूली हेतु उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

दिनांक: 31.07.2026 **स्थान: कानपुर** **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया**

लखनऊ से आई यूपीपीसीबी टीम की जांच में सामने आई बात, दो दिन पहले भी हुई थी पड़ताल

क्रोमियम कचरा फेंकने में माननीय की फतेहपुर की फैक्ट्री का भी नाम

खुलासा

- फतेहपुर की बंद केमिकल फैक्ट्रियों के आधी रात चलने की चर्चा
- पांच सदस्यीय टीम ने दो दिन की जांच, जल्द सौंपेगी रिपोर्ट

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। क्रोमियम कचरा फैलाने में कानपुर देहात की एक केमिकल फैक्ट्री के साथ ही फतेहपुर में एक माननीय की बंद फैक्ट्री का नाम भी सामने आ रहा है। लखनऊ मुख्यालय से आई उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की टीम की जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि, यूपीपीसीबी के अफसरों का कहना है कि क्रोमियम कचरा फैला रही फैक्ट्रियों का नाम रिपोर्ट में ही उजागर किया जाएगा।

19 जुलाई को पुरवामीर में हरे रंग का क्रोमियम कचरा फेंकने का मामला सामने आया था। तब एक कचरा फेंकने वाले डंपर के ड्राइवर-खलासी ने एक माननीय का नाम लिया था। इसके बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज, महोली, मोड़, तिवारीपुर गांव और शाइन सिटी के पास बड़ी मात्रा में क्रोमियम कचरा सामने आया।

यूपीपीसीबी की जांच में कचरे में क्रोमियम की पुष्टि होने पर लखनऊ तक शोर मच गया। यूपीपीसीबी मुख्यालय से आई पांच सदस्यीय टीम ने बीते दो दिनों जांच पड़ताल भी की।

15 दिन पहले तक चल रही थी फतेहपुर की बंद केमिकल फैक्ट्री : जांच टीम ने फतेहपुर में चल रहीं सभी केमिकल फैक्ट्री का निरीक्षण किया था। बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्रियों में पड़े कचरे को भी टीम ने चेक किया था। इस दौरान टीम ने फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों से बात की थी। लोगों ने बताया कि दिन में फैक्ट्री परिसर में दूसरा काम होता था, लेकिन आधी रात केमिकल फैक्ट्री चलती थी। फैक्ट्री चलने पर दुर्गंध भी फैलती थी। फिलहाल, 15 दिन से फैक्ट्री रात में नहीं चल रही है।

महाराजपुर में इयोढ़ी घाट के पास खाली स्थान पर फेंका गया क्रोमियम कचरा। (फाइल फोटो)

यूपीपीसीबी के अफसरों पर भी गिर सकती है गाज

फतेहपुर और कानपुर देहात की केमिकल फैक्ट्रियों से क्रोमियम कचरा खुले में फेंके जाने के मामले में दोनों जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। इस बात के संकेत विभाग के उच्चाधिकारी भी दे रहे हैं। फैक्ट्रियों का निरीक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी जिले के अफसरों की है। जिम्मेदार अफसरों की अनदेखी से केमिकल फैक्ट्रियों को मनमानी की छूट मिल गई थी।

पहले क्षतिपूर्ति जुर्माना या निस्तारण

यूपीपीसीबी मुख्यालय से आई टीम ने क्रोमियम कचरा फैलाने वाले केमिकल फैक्ट्री संचालकों की पहचान कर ली है। कचरा फैलाने वाले लोगों से यूपीपीसीबी पर्यावरणीय क्षति जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से वसूल करेगा। जुर्माना वसूल करने के बाद कचरे का निस्तारण किया जाए या फिर रैक्की कंपनी से पहले कचरे का निस्तारण कराया जाए या जुर्माने की वसूली साथ में होती रहे इस कश्मकश पर अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही शासन तय करेगा।

मानकविहीन कोचिंग सेंटरों पर होगी कार्रवाई

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। मानकों की अनदेखी और बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए अग्निशमन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और बिजली विभाग की टीम आपस में समन्वय स्थापित विशेष अभियान चलाए। वहीं, कोचिंग संचालकों की सुविधा के लिए एक हेल्पलाइन 7607642442 बनाई गई है। हर कार्य दिवस में सुबह दस से शाम पांच घंटे के बीच कोचिंग संचालक अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे।

एडीएम सिटी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला में संचालित कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था, सुरक्षा और नियम को लेकर आवश्यक बैठक हुई। इसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा, केस्को के अधिशाषी अभियंता, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नामित नोडल अधिकारी डॉ. श्याम मिश्रा आदि ने हिस्सा लिया।

एडीएम सिटी ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थान अनिवार्य रूप से अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन करें। आपातकालीन निकास द्वार, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था और भवन की संरचनात्मक मजबूती को सुनिश्चित किया जाए। बिना वैध अनुमति या पंजीकरण के संचालित हो रहे कोचिंगों के खिलाफ अभियान चलाएं, जिसको लेकर तीनों विभाग मिलकर कमेटी गठित करें। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने सभी कोचिंग संचालकों से मानक का पालन करने और अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का निर्देश दिया।

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने किया आठ कोचिंगों का निरीक्षण

कानपुर। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी की टीम ने गुरुवार को विशेष अभियान चलाकर जिले में विभिन्न कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया। टीम ने सर्वोदय नगर स्थित न्यू डिस्कवर एकेडमी, जिटेक्स एकेडमी, पांडु नगर स्थित जेई ज़ाटा एक्सपर्ट, काकादेव स्थित जेनिथ एकेडमी, ग्लोबल करियर एकेडमी, आरएस इंस्टीट्यूट, ड्रीम्स मैट इंस्टीट्यूट, ओमेगा इंस्टीट्यूट आदि का सभी मानकों पर निरीक्षण किया गया।

जलकल जीएम को भेंट करेंगे बाल्टी

कानपुर। जूही बंबूरहिया क्षेत्र में पानी की समस्या का निदान नहीं हो रहा है। वर्षों से जनता परेशान है। अगर जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो स्थानीय लोग मजबूर होकर जलकल जीएम को खाली बाल्टी, गंदे कपड़े और कपड़े धोने के साबुन भेंट किए जाएंगे। यह बातें जूही बंबूरहिया की पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने गुरुवार को कही। वहीं दूसरी तरफ जलकल विभाग ने पुलिस के साथ आकर जबरन जूही बम्बुरहिया का सबमर्सिबल पंप निकाल लिया। जिससे जनता एक एक बूंद पानी को तरस गई।

कानपुर विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना: 'एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूखण्ड संख्या-29 एम, ब्लाक-सी/1, योजना- 38, इन्दिरा नगर, कानपुर नगर के भू-स्वामी श्री आशीष द्विवेदी पुत्र श्री अम्बिका प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्राधिकरण के नियोजित आवासीय भूखण्ड पर 'होटल' किया हेतु UPOBPAS पोर्टल पर फाइल संख्या-KDA/BP/25-26/1415 के द्वारा क्षेत्रफल-282.62 वर्ग मी0 पर मानचित्र स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत भूखण्ड 45.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित है। पूर्व में उक्त भूखण्ड का आवासीय भवन मानचित्र फाइल संख्या- KDA/BP/24-25/0370 दिनांक-31.10.2024 के द्वारा स्वीकृत है। वर्तमान में प्रभावी मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 के प्रस्तर 15.3.2 प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में क्रियाओं की अनुमन्यता हेतु आवासीय भू-उपयोग में 'होटल' किया अनुमन्य है। मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि तथा मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स 2025 के प्रस्तर-15.1.3 (iv) के अनुसार महायोजना भू-उपयोग अथवा अनुमोदित लै आउट में परिभाषित भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त दी जायेगी। मानचित्र स्वीकृति से पूर्व प्राधिकारी के अनुसार 15 दिन की समयावधि जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/सुझाव देना हो तो मुख्य नगर नियोजक, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर के कार्यालय में लिखित रूप से उक्त सूचना के प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।' **सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण**

कारीगर को कुचलने वाले सफारी चालक को निजी मुचलके पर छोड़ा

कानपुर, दक्षिण संवाददाता। संजय वन में काल बनकर दौड़ी सफारी गाड़ी से वेज बिरयानी कारीगर की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपित चालक को निजी मुचलके पर छोड़ दिया। पुलिस का दावा है कि बीएसी (ब्लड एल्कोहल कंसन्ट्रेशन) टेस्ट में शराब की पुष्टि नहीं हुई। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। चचेरे भाई की मौत पर पीड़ित ने किदवईनगर थाने में रिपोर्ट कराई है।

संजय वन में मंगलवार देर रात करीब 80 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से एक सफारी कार पेड़ को तोड़ने के बाद तीन लोगों को रौंदते हुए निकल गई थी। हादसे में वेज बिरयानी की दुकान चलाने वाले दीपक कुमार पाल के यहां काम करने वाले कानपुर देहात मंगलपुर निवासी चचेरे भाई संतोष पाल की मौत हो गई थी। किदवईनगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि दीपक कुमार पाल की तहरीर पर सार्वजनिक जगह पर लापरवाही से वाहन चलाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। वहीं जमानती धाराएं होने पर ककवन निवासी बल्लू को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, कानपुर
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
सत्यमेव जयते

ईपीएफ ओ के पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी!

अब उन्हें, जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए ईपीएफओ भविष्य निधि कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है।

01 भारतीय डाक India Post
डाक विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके **033-22029000** पर कॉल करके डाकिया को अपने घर बुला सकते हैं जो जीवन प्रमाण पत्र कर देगा। यह सेवा पूरी तरह निशुल्क है क्योंकि भविष्य निधि संगठन एवं भारतीय डाक विभाग के साथ करार हुआ है जिसमें इसका पूरा खर्च ईपीएफओ डाक विभाग को देगा।

02 इसके अतिरिक्त आप घर बैठे एंड्रॉयड फोन के द्वारा आधार आईडी ऐप और जीवन प्रमाण एप के माध्यम से स्वयं जीवन प्रमाण कर सकते हैं जो की पूरी तरह निशुल्क होती है। AADHAAR Aadhaar Jeevan Pramaan

आपके लिए सुविधाएँ
- घर बैठे करें जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया।
- डाकिया को बुलाएं, डाकिया आएगा आपके घर।
- फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं यह प्रक्रिया।

✓ कोई शुल्क नहीं | कोई लाइन नहीं | कोई झंझट नहीं

समय रहते जीवन प्रमाण पत्र अवश्य जमा करें और अपनी पेंशन निर्बाध रूप से प्राप्त करते रहें।

सम्पर्क अनुभाग का नम्बर - 0512 2215 644
ईमेल आईडी - ro.Kanpur@epfindia.gov.in
पता - ईपीएफओ सर्वोदय नगर, कानपुर - पिन कोड 208005

25 किलो रंगीन फिंगर चिप्स किए नष्ट, नमूने जांच को भेजे

कानपुर। जिलाधिकारी के आदेश एवं सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय के निर्देश पर गुरुवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान 25 किलो रंगीन फिंगर चिप्स को मौके पर ही नष्ट कराया गया। टीम ने आठ नमूने जांच के लिए भेजे हैं। सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय संजय प्रताप सिंह ने बताया कि बारिश के मौसम में खाद्य पदार्थों को ढककर रखने, प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई बनाए रखने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पार्षदों ने कूड़ा उठवाने को महापौर से मांगी हाथ गाड़ी

कानपुर। जोन-6 में मूलभूत सुविधाओं के मसले पर महापौर ने पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में पार्षदों ने स्वच्छता अभियान में कूड़ा उठाने के लिए हाथ गाड़ी की कमी को पुरजोर तरीके से उठाया। पार्षदों ने कहा कि कूड़ा उठाने के लिए संसाधन ही नहीं हैं। झाड़ू लगाने से क्या फायदा, जब कूड़ा उठ ही न पाए। महापौर ने हर एक वार्ड की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर एक समस्या का समाधान कर प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराएं।

पार्षद महेन्द्र पाण्डेय 'पप्पू' ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में 5-5 हाथ कूड़ा गाड़ी और 10-10 रिक्शों की व्यवस्था होनी चाहिए। से